महाराष्ट्र शासन – सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय,
डॉ. नायडू सांसर्गिक रुग्णालय आवार, केनेडी रोड, पुणे -४११ ००१

डॉ.मधुकर शि.पवार
उपसंचालक आरोग्य सेवा (आमाजिआ)
तथा उपमुख्य निबंधक
(जन्म व मृत्यु) महाराष्ट्र राज्य

कार्यालय ☎ :- ०२० – २६०५९५३०
मा.सं. विभाग ☎ :- ०२० – २६०५८६१०
फॅक्स क्र. :- ०२० – २६०५८२९२
ई-मेल crs_d83@yahoo.com

परिपत्रक क्रं. 94   जा.क्र.आमाजिआ/कक्ष-८३/मार्गदर्शन/7369-7537/१५

दिनांक:- ३०/०६/२०१५ 30-9-2015

प्रति,

१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक जन्म-मृत्यु
जिल्हा परिषद .... (सर्व)

२) आरोग्य अधिकारी तथा निबंधक जन्म-मृत्यु
महानगरपालिका .... (सर्व)

३) कार्यकारी आरोग्य अधिकारी तथा निबंधक जन्म-मृत्यु,
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, परेल, मुंबई.

४) कार्यकारी अधिकारी तथा निबंधक, जन्म-मृत्यु,
कॅन्टोनमेंट बोर्ड............ (सर्व)

विषय :- अनाथ/परित्यक्त बालकांच्या जन्म नोंदणी संदर्भात मार्गदर्शन.

संदर्भ :- १) भारताचे उपमहानिबंधक (सीआरएस) नवि-दिल्ली यांचे पत्र क्रं.स७/४/२०१३-बीएस-(सीआरएस)/७४२, दि.०३/०७/२०१५.
२) मा.संचालक आरोग्य सेवा तथा मुख्य निबंधक जन्म-मृत्यू, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रं.संआसे/एमआयएस/द.अ./कक्ष-१८/३१२५-२६/२०१५, दिनांक २०/०८/२०१५.

उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भिय पत्र क्रं.१ मध्ये अनाथ/परित्यक्त बालकांच्या जन्म नोंदणीबाबत मा. उपमहानिबंधक (सीआरएस), भारत सरकार यांचे दिनांक ०३/०७/२०१५ चे हिंदी पत्राव्दारे मार्गदर्शक सूचना या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत.

अनाथ व परित्यक्त बालकांच्या जन्म नोंदणी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडल्या असून योग्य त्या कार्यवाहीस्तव आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व निबंधकांना सक्तीने अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेशित करावे व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास अवगत करावा.

सोबत - दिनांक ०३/०७/२०१५ ची प्रत.

उपसंचालक आरोग्य सेवा (आमाजीआ)
तथा उपमुख्य निबंधक जन्म-मृत्यु
महाराष्ट्र राज्य पुणे-१

प्रत सादर -
१) मा.उप महानिबंधक (सीआरएस) भारत सरकार, नवी-दिल्ली ११००६६.
२) मा. संचालक, आरोग्य सेवा तथा मुख्य निबंधक जन्म-मृत्यु, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. आपले पत्र दिनांक २०/०८/२०१५ च्या अनुषंगाने.

C:D-83/Circular 2015.in

२५१5 ५1२८

हिन्दी रूपान्तर

सं.7/4/2013-वीएस-(सीआरएस) /742

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

Tele-fax.N0.23383761@26104012 E-mail-drg-crs.rgi@nic.in

दिनांक: 03.07.2015

परिपत्र

विषय: अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना ।

अनाथ बच्चों के जन्म के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है । ये दिशा निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं ।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 8 के अन्तर्गत अनाथालय अथवा इसी प्रकार के संस्थान के बच्चों के मामले में संबंधित संस्थान के प्रभारी अथवा केयरटेकर और ऐसे संस्थान से बाहर के बच्चों के मामलें में अभिभावक, संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु को जन्म की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है । ऐसे मामलों में, हो सकता है कि जन्म संबंधी विवरणों यथा जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता-पिता के नाम के बारे में जानकारी हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है ।

(क) अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर, स्थान जहॉ अनाथालय स्थित है अथवा जहां बच्चा रह रहा है, उस स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाए ।

(ख) बच्चे की जन्म तिथि के बारे में जानकारी न होने पर, वह क्षेत्र जहॉ पर अनाथालय स्थित है अथवा जहां बच्चा रह रहा है, उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा निर्धारित आयु और एक सम्भावित जन्म तिथि दे दी जाती है । सीएमओ द्वारा दी गई जन्म तिथि को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जा सकता है ।

(ग) माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान के प्रभारी/अभिभावक को मालूम होने की स्थिति में उसे ही जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दर्ज करें । माता-पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले में,माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फार्म में खाली रखा जाएगा ।

(घ) यदि बच्चे को 'समर्पण विलेख' के माध्यम से दाखिल किया जाता है तो संबंधित अनाथालय को दोहरे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिए संबंधित माता-पिता से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए । यदि जन्म पहले से पंजीकृत नहीं करवाया गया था, तो अनाथालय को उपर्युक्त के अनुसार बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए विवरण, रिपोर्ट करने चाहिए ।

(ङ) यदि बच्चे के नाम की जानकारी है तो उसे जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दिया जाना चाहिए । यदि उसकी जानकारी न हो तो अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक को बच्चे को एक नाम देना होगा और उसी को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में दर्ज कराएं ।

(च) विलंबित पंजीकरण के मामलों में धारा 13(1), (2) और (3) में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाए ।

(छ) अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उनकी देखभाल के अन्तर्गत रहने वाले बच्चों का जन्म यथाशीघ्र पंजीकृत कराएं ।

(ज) संबंधित रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में अनाथालय स्थित है अथवा जहां अनाथ रह रहा है, उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरणों के आधार पर, जन्म को पंजीकृत करेगा ।

(झ) पंजीकरण के पश्चात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और जन्म प्रमाण पत्र में 'अनाथ बच्चा' शब्द नहीं लिखा जाएगा ।

2. **दत्तक ग्रहण:** दत्तक ग्रहण के मामलों में इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के परिपत्र संख्या 1/7/2011-वीएस-सीआरएस में दर्शाई गई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए ।

3. आपसे अनुरोध है कि सभी पंजीकरण पदाधिकारियों को सख्ती से अनुपालन के लिए आवश्यक निदेश दें । संबंधित अधिकारियों को जारी निदेशों की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए ।

4. यह भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ।